न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–
स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.
वाद संख्या 123/2023
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

1. जमना देवी पुत्री श्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 07, चक 12 सी.डी.आर. सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)। .... वादिया

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी 3 जी बड़ी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री राजकुमार नागपाल (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–01)

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील श्रीगंगानगर के जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 41/31 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 22/2 में 0.0320 है0, किला नं0 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 0.7910 हैक्टेयर मुताबिक जमाबन्दी वादिया के नाम से दर्ज कागजात माल हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज दर्ज है जबकि वादिया का सही नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज हैं। ग्राम पंचायत कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादिया का नाम जमना उर्फ जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज अंकित हैं। वादिया का नाम, वादिया के आधार कार्ड, मूल निवास, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड में वादिया का नाम जमना देवी पत्नी पृथ्वीराज दर्ज हैं व वादिया के जाति प्रमाण पत्र में वादिया का नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम दर्ज हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज होने के कारण वादिया को राज्य सरकार द्वारा एवं अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली समुचित सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहीं हैं। ऐसी सूरत में वादिया राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपना नाम सही नाम जमीयत के स्थान पर जमना देवी दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादिया ने राजस्व रिकॉर्ड में अपना सही नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी व प्रतिवादी संख्या 01 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने कहा कि माननीय न्यायालय का आदेश होने पर ही नाम में बदलाव या दुरूस्ती की जा सकती है। यही वाद कारण है। वाद वादिया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम में अधिकारों की घोषणा हेतु है। कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अत: वाद वादिया स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–
(क) घोषित किया जावे कि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील श्रीगंगानगर के जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 41/31 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 22/2 में 0.0320 है0, किला नं0 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 0.7910 हैक्टेयर में जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज के स्थान पर जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

पृथ्वीराज है। (ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। (ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादिया के हित में प्रदान किया जावे।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.09.2024 एवं 11.12.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वादिया का नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत उसका जन आधार कार्ड, सं0 4702861140, आधारकार्ड सं0 492163181071, वादिया के बैंक की पास बुक, तहसीलदार टीब्बी (हनुमानगढ) द्वारा जारी वादिया का मूल निवास प्रमाण–पत्र, उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी वादिया का जाति प्रमाण पत्र, वादिया के पति पृथ्वीराज के नाम से जारी राशन कार्ड भी बना हुआ है, जो कि वार्ड नं0 07 सूरेवाला टिब्बी (हनुमानगढ) के पते का है, का अवलोकन किया। उक्त सभी दस्तावेजात में वादिया का नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं0 07 12 सीडीआर सूरेवाला टिब्बी हनुमानगढ दर्ज है। सरपंच, ग्राम पचायत कालियां पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार ग्राम पंचायत की जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं0 07 12 सीडीआर सूरेवाला टिब्बी हनुमानगढ एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज एक ही महिला है, इस नाम की अन्य महिला मलूकाराम की पुत्री नहीं है। तथा तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.09.2024 एवं 11.12.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादिया का नाम जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज किया जाना उचित होगा।

अतः अभिलेखिय साक्ष्यों एवं रिपोर्ट तहसीलदार भू0 अ0, श्रीगंगानगर के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एवं 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर वादिया का नाम चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगंानगर के जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 41/31 के मुरब्बा नं0 11 के किला गनं0 22/2 में 0.0320 है0, किला नं0 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 0.7910 हैक्टेयर भूमि में जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज के स्थान पर जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30.04.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी— स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वाद संख्या 123/2023
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

1. जमना देवी पुत्री श्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 07, चक 12 सी.डी.आर. सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)। .... **वादिया**

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. जमीयत पुत्री मलुकाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी 3 जी बड़ी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित— श्री राजकुमार नागपाल (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी—01)

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

वाद संख्या 123/2023
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल व पैरोकार राज प्रतिवादी— 01 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि —

वादिया का नाम चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगांनगर के जमाबंदी सम्वत् 2071—74 के खाता संख्या 41/31 के मुरब्बा नं0 11 के किला गनं0 22/2 में 0.0320 है0, किला नं0 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 0.7910 हैक्टेयर भूमि में जमीयत पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज के स्थान पर जमना देवी पुत्री मलूकाराम पत्नी पृथ्वीराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को डिक्री जारी की गयी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested